न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82/2022

मुकेश कुमार पुत्र श्री सुरजभान, जाति जाट, निवासी ग्राम खुडौत, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

1. श्रीमान संदीप चौधरी, आरएएस, हाल उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. उप पंजीयक अधिकारी, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
4. सिलोचना पत्नी श्री सुरजभान,
5. अनिल पुत्र श्री सुरजभान,
6. चन्द्रभान पुत्र श्री नन्दलाल
7. भगवती पुत्री श्री नन्दलाल
8. गोरधन पुत्र श्री नन्दलाल
9. ग्यारसी पत्नी श्री बलबीर

समस्त जाति जाट, निवासीगण खुडौत, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0 एक्ट 1955 बाबत दावा संख्या 151/2021 उनवानी मुकेश बनाम सिलोचना वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा तारीख पेशी 25.02.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री अशोक लाम्बा, अभिभाषक — आवेदक की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश, अभिभाषक — अनावेदक संख्या 9 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
4. अनावेदक सं0 4 लगायत 8 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि दावा उनवानी मुकेश बनाम सिलोचना वगैरह, मु0न0 151/2021 तारीख पेशी 25.02.2022 उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत में लम्बित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे दिनांक 07.12.2021 के बाद कम सम[illegible] तारीख पेशी प्रतिवादीगण के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की [illegible] द्वारा [illegible] तारीख पेशी अन्य प्रकरणो के साथ वादीगण को सुनवाई के लिये समुचित अवसर दिये जाने [illegible] तारीख पेशी का नि[illegible]किये जाने पर वादीगण के प्रकरण में तारीख पेशी नही [illegible] द्वारा प्रकरण में अ[illegible]धारा 151 जा0फौ0 को प्रार्थना पत्र दावे की पत्रावली में पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णित आदेश मे संशोधन करने के लिये दिनांक 02.11.2021 को पेश किया गया जिसमें अदालत मातहत द्वारा 5 दिवस बाद की तारीख पेशी वादीगण के वकील को जबाब दरख्वास्त हेतु दी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अन्य प्रकरणों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पैरवी के साथ वादीगण के प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत किये जाने के कारण पैरवी करना संभव नही होना वादीगण को कथित किया है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से वादीगण के हक में निर्णित हो चुका है फिर भी प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 9 द्वारा न्यायालय परिसर में तारीख पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर खुले तौर पर ऐलानियां धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हो चुकी है व मेरी राजनैतिक पहुंच है। उक्त प्रकरण में मैं मेरे हक में फैसला करवाउंगा। इस कारण वादी की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी मुकेश बनाम सिलोचना वगैरह मु0नं0 151/2021 तारीख पेशी 25.02.2022 उपखण्ड अधिकारी चिडावा को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 200 दिनांक 09.03.2022 द्वारा बिन्दूवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र की बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2, 3, 4 मे वर्णित तथ्य गलत, निराधार व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 5 मे वर्णित तथ्य स्वीकार किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई ऐतराज नही है। बिन्दू सं0 6 व 7 कानूनी है जिसके जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दावा उनवानी मुकेश बनाम सिलोचना वगैरह, मु0न0 151/2021 तारीख पेशी 25.02.2022 उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत में लम्बित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे दिनांक 07.12.2021 के बाद कम समयावधि की तारीख पेशी प्रतिवादीगण के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत वादीगण द्वारा नियमित तारीख पेशी अन्य प्रकरणो के साथ वादीगण को सुनवाई के लिये समुचित अवसर दिये जाने के लिये तारीख पेशी का निवेदन किये जाने पर वादीगण के प्रकरण में तारीख पेशी नही दी जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में अन्तर्गत धारा 151 जा0फौ0 को प्रार्थना पत्र दावे की पत्रावली में पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णित आदेश में संशोधन करने के लिये दिनांक 02.11.2021 को पेश किया गया जिसमें अदालत मातहत द्वारा 5 दिवस बाद की तारीख पेशी वादीगण के वकील को जबाब दरख्वास्त हेतु दी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अन्य प्रकरणों की पैरवी के साथ वादीगण के प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत किये जाने के कारण पैरवी करना संभव नही होना वादीगण को कथित किया है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से वादीगण के हक में निर्णित हो चुका है फिर भी प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 9 द्वारा न्यायालय परिसर में तारीख पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर खुले तौर पर ऐलानियां धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हो चुकी है व मेरी राजनैतिक पहुंच है। उक्त प्रकरण में मैं मेरे हक में फैसला करवाउंगा। इस कारण वादी की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी मुकेश बनाम सिलोचना वगैरह मु0नं0 151/2021 तारीख पेशी 25.02.2022 उपखण्ड अधिकारी चिडावा को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

वकील अप्रार्थी संख्या 9 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक मुकेश चतुर एवं चालाक है। आवेदक बार–बार तारीख पेशियां लेकर समय निकाल रहा है। अतः आवेदक का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः आवेदक का यह प्रार्थना पत्र बाबत मुकदमा स्थानान्तरण खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा मे विचाराधीन दावा उनवानी मुकेश बनाम सिलोचना वगैरह मु0न0 151/2021 को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किये जाने हेतु ठोस वजह जाहिर नही की है। ऐसे मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बाबत मुकदमा स्थानान्तरण सारहीन प्रतीत होता है। सारहीन होने से यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested